	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक संक्षिप्त कार्य विवरण
	षष्ठम् विधान सभा अष्टम् सत्र अंक-1

नवा रायपुर अटल नगर, सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 4, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. सदन को सूचना

राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान एवं राज्यगीत का वादन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" को बजाये जाने के संबंध में जारी निर्देशानुसार राष्ट्रगीत के आधिकारिक संस्करण का अभिवादन किन-किन अवसरों पर होगा, इसका उल्लेख आदेश में है। आदेश के अनुसार राज्यपाल महोदय के आने एवं जाने के समय राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" को बजाया जाना होगा। पूर्व परंपरा अनुसार विधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" एवं राज्यगीत "अरपा पैरी के धार" को बजाया जाता था. उसके पश्चात् माननीय राज्यपाल महोदय की प्रतीक्षा की जाती थी। राज्यपाल महोदय के सदन में अपने स्थान पर आने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी तथा अभिभाषण समाप्त होने उपरांत राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती थी।

अतः अब माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन पर सर्वप्रथम राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" का वादन होगा, उसके पश्चात् राष्ट्रगान एवं तत्पश्चात् राज्यगीत "अरपा पैरी के धार" बजाया जायेगा तथा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण को समाप्त किये जाने के बाद भी उनके प्रस्थान पूर्व राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" पश्चात् राष्ट्रगान "जन-गण-मन" बजाया जायेगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सोमवार, 23 फरवरी, 2026

अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

माननीय राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

(राष्ट्रगीत के पश्चात् राष्ट्रगान एवं राज्य गीत का वादन किया गया)

2. राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल (श्री रमेन डेका) ने अभिभाषण दिया।

(राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" एवं राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का वादन किया गया)

माननीय राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसरण में सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिये गये अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

3. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि "माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 की तिथि निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 को मध्याह्न 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-2026 पटल पर रखा।

5. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री धरम लाल कौशिक

(2) श्री विक्रम उसेण्डी

(3) श्री धर्मजीत सिंह

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 में लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

1. <u>वित्तीय कार्य</u>

(1) वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक का उपस्थापन मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 को मध्याह्न 12.30 बजे तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 एवं शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2026 को होगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा सोमवार, 9 मार्च, 2026 से मंगलवार, 17 मार्च, 2026 को अपराह्न 4.00 बजे तक होगी ।

(3) वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया जो इस प्रकार है -

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री	2 घंटे
श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री	2 घंटे
श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री	2 घंटे
श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री	2 घंटे
श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री	1 घंटा 30 मिनट
श्री दयाल दास बघेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री	1 घंटा 30 मिनट
श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री	1 घंटा 30 मिनट
श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	1 घंटा 30 मिनट
श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री	1 घंटा 30 मिनट
श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री	1 घंटा
श्री टंक राम वर्मा, राजस्व मंत्री	1 घंटा
श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री	1 घंटा
श्री गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति विकास मंत्री	1 घंटा
श्री राजेश अग्रवाल, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	1 घंटा

2. **<u>विनियोग विधेयक</u>**

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026 एवं चर्चा/पारण बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2026.

3. **<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>**

(1)	छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026	1 घंटा 30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2026	30 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ लोक परीक्षा (भर्तियों में अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026	1 घंटा 30 मिनट

सोमवार, 23 फरवरी, 2026

(5) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 30 मिनट

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. सदन को सूचना

प्रजापिता ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा "ब्रहमा भोजन" का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि समस्त सम्माननीय सदस्यों हेतु प्रजापिता ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सेक्टर 20 नवा रायपुर अटल नगर में आज सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2026 को दोपहर 01:00 बजे से "ब्रहमा भोजन" (Lunch) आयोजित है । आप समस्त सम्माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अपनी सुविधानुसार सम्मिलित होने का कष्ट करें।

(मध्याहन 12.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 5, शक संवत् 1947) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा